6.12.15 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आ॰सि॰ उप॰। अप्रार्थी आ॰सि॰ अनु॰। बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी के वादपत्र एवं सामग्री पत्रावली का अवलोकन करता हूँ। ~~प्रथम~~ प्रार्थी के अभिवचनों का कथन है कि उसने मधुशाला में [illegible]

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स	अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
	मे उक्त भूमि का कब्जा लिया था तब से ही वह उस पर काबिज है। उसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे। हालांकि प्रार्थी वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार है। लेकिन अप्रार्थी उस पर स्वयं काबिज बता रहा है। इसकी स्थिति की जांच मूल दावे मे यह साबित होगा कि कौन वाद ग्रस्त भूमि का असली हकदार है मूल दावे के निस्तारण तक दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त भूमि की निर्माण / मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां (राज०)	

Scanned by CamScanner